सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1864 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

दौलतराम पुत्र धन्ना भील निवासी मेंहरूकलां, तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र सोदान
2. गोपाल पुत्र रामकरण
3. रामेश्वर पुत्र रामकरण
4. जगदीश पुत्र सोदान
5. देवीलाल पुत्र सोदान
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण मेहरूकलां, तहसील सावर जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर

प्रतिवादीगण

7. हगामी पुत्री धन्ना भील
8. बन्ना पुत्र कालू भील
   समस्त निवासीगण मेहरूकलां, तहसील सावर जिला अजमेर

प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री पवनसिंह भाटी एडवोकेट वादी।
2. श्री हेमराज कानावत एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. श्री नन्दकिशोर वर्मा एडवोकेट प्रतिवादी 7 व 8

निर्णय **दिनांकः–**

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 1137 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.15 हैक्ट. जो कि वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होती चले आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा प्रतिवादी 1 से 5 अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण प्रतिवादी 1 से 5 आये दिन वादीगण के साथ दबाव बनाकर वादग्रस्त आराजी को हडपने पर आमादा है व फसल आदि को आये दिन नष्ट करते रहते हैं। लिहाजा प्रतिवादी 1 से 5 को वादग्रस्त आराजी से बैदखल कर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण 1 से 5 की ओर से श्री हेमराज कानावत एडवोकेट ने पावर व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए), (डी) एवम धारा 151 जा.दी. का पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब व दस्तावेज आदि पेश नही किये। वादी के अधिवक्ता जवाब पेश ना करके सीधी बहस करना चाहते है लिहाजा बहस सुनी गई। विवरण निम्न प्रकार है–

बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 1137 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.15 हैक्ट. जो कि वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होती चले आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा प्रतिवादी 1 से 5 अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण प्रतिवादी 1 से 5 आये दिन वादीगण के साथ दबाव बनाकर वादग्रस्त आराजी को हडपने पर आमादा है व फसल आदि को आये दिन नष्ट करते रहते हैं तथा मना करने पर वादी को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने से मारपीट करने पर उतारू हो जाते है। वादी का दावा अनुसूचित जनजाति का होने से स्वीकार योग्य बनता है, जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी 1 से 5 को बैदखल कर कब्जा दिलाया जावे।

प्रतिवादी 1 से 5 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए), (डी) एवम धारा 151 जा.दी. में वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 183बी राज. काश्त. अधि. में पेश किया है किन्तु राज.काश्त.अधि. (संशोधन) 1989 एक्ट न0 13/1989 एवं तृतीय सूची (संशोधित) पार्ट द्वितीय के सीरियल नम्बर 68 सी के अनुसार उक्त वाद माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। उक्त धारा में सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय तहसीलदार स्तर का है जिसके कारण वादी का दावा खारिज फरमाया जावे। इस बाबत प्रतिवादी 1 से 5 द्वारा निम्न नजीरे पेश की है–

4. The Code of Civil Procedure, 1908, Page No 260 (11) – Rejection of Point तथा बिन्दु संख्या 10-A – Power of Court to fix a date of appearance where plaint is to be filed after its return
5. RRD 1996 Page No 84 – Shri Udai Prakash Mathur : Member, Sukhdev Singh Vs Lichhma & anr.-(27). Revision No 143
6. RRD 1993 Page No 546 – Shri O.P. Jain: Member, Laxmi lal Vs Chunnilal & anr.-(233). Revision No 173 जिसमें धारा 183बी में श्रवणाधिकार नयायालय तहसीलदार का होना जाहिर होता है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 183बी में पेश किया गया है जिसमें वादी का दावा प्रेमापेसाई नही होने से वादपत्र का संतुलन व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 183बी में प्रतिवादी 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए), (डी) एवम धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का दावा अन्तर्गत धारा 183बी का खारिज किया जाता है। वादी अपनी चारा–जोरी हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। खर्चा अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी